रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 31 अगस्त, 1988/9 भाद्रपद, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-171004, *the* 30*th August*, 1988

No. 1-37/88-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the Lepers (Himachal Pradesh Repealing) Bill, 1988 (Bill No. 8 of 1988) having been introduced on the

30th August, 1988, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
Secretary

1988 का विधेयक संख्यांक 8.

कुष्ठ रोगी (हिमाचल प्रदेश निरसन) विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम सं0 3) को, जहां तक वह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू है, निरसित करने के लिए विधेयक।

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कुष्ठ रोगी (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1988 है।

1898 के केन्द्रीय अधिनियम सं0 3 का निरसन।

2. कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 3) जहां, तक वह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू है, का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

व्यावृत्तियां।

3. धारा 2 के अधीन अधिनियम का निरसन —

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या तदधीन की गई या होने दी गई किसी बात; या

(ख) उक्त अधिनियम के अनुसरण में बनाया गया कोई नियम, उप-विधि, जारी की गई अधिसूचना, आदेश या प्रतिषेध; या

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत, या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(घ) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(ङ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार;

को प्रभावित नहीं करेगा, और ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी शास्ति समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानों कि उक्त अधिनियम, जहां तक वह हिमाचल प्रदेश को लागू है, का निरसन नहीं किया गया है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुष्ठ रोगियों को कतिपय व्यवसायों या उपजीविकाओं को अपनाने से निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने और संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विलयित राज्य (विधियां) अधिनियम, 1949 (1949 का 59) के अधीन कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 3) को हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों की विरचना उस समय कुष्ठ रोग से सम्बन्धित जानकारी और इसके उपचार तथा नियंत्रण के लिए उपलब्ध साधनों के आधार पर की गई थी, किन्तु कथित रोग के उपचार से सम्बन्धित वर्तमान जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए इन उपबन्धों को समुचित नहीं समझा जा रहा है। कुष्ठ रोग को अन्य जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की भांति नियंत्रित करना वांछनीय है और अधिनियम का प्रवृत्त रहना निश्चित रूप से कलंक बना रह सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में कुष्ठ रोगियों की गिरफ्तारी और शारीरिक दण्ड सम्बन्धी जो परिमाण दिए गए हैं वे अब अपेक्षित नहीं ह और उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। अतः उक्त अधिनियम का, जहां तक वह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू है, निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

कौल सिंह,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
29 अगस्त, 1988.

वित्तीय ज्ञापन

शून्य

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

Bill No. of 8 1988.

THE LEPERS (HIMACHAL PRADESH REPEALING) BILL, 1988

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal the Lepers Act, 1898 (*Central Act No.* 3 *of* 1898) *in its application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Lepers (Himachal Pradesh Repealing) Act, 1988.

Repeal of Central Act No. 3 of 1898.

2. The Lepers Act, 1898 (Central Act No. 3 of 1898), in its application to the State of Himachal Pradesh, is hereby repealed.

Savings.

3. The repeal of the Act under section 2 shall not affect—

(*a*) the previous operation of the said Act or anything done or suffered therunder; or

(*b*) any rule, bye-law, notification, order or prohibition made in pursuance of the said Act; or

(*c*) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or

(*d*) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Act; or

(*e*) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued, or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Act had not been repealed in its application to the State of Himachal Pradesh.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Lepers Act, 1898 (Central Act No. 3 of 1898) has been made applicable to the State of Himachal Pradesh under the Merged States (Laws) Act, 1949 (Act No. 59 of 1949) with a view to preventing the spreading of infection and to restrict or prohibit leprosy patients from following certain trades or occupations. Various provisions of the said Act have been framed on the basis of the then existing knowledge regarding disease of leprosy as also the means available at that time for its treatment and control and that those provisions could no longer be considered appropriate in the light of present day knowledge for treatment of the said disease. It has become desirable to allow leprosy to be dealt with like any other public health problem and the continuation of the Act is bound to perpetuate the stigma. Besides, the employment of punitive physical measures, as envisaged in the Act, such as empowering arrest and physical detention of a leprosy patient, are no longer required and might even be subject to misuse. It has, therefore, been decided to repeal the said Act in its application to the State of Himachal Pradesh.

This Bill seeks to achieve the aforesaid object.

KAUL SINGH,
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The 29th August, 1988.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।